राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

(प्लाट नं. – 6, ऐवरेस्ट कॉलोनी, नियर अपेक्स मॉल, लाल कोठी, जयपुर)

क्रमांकःपैरामेडि.कौं / मान्यता / 2019 / 893 दिनांकः 14-05-19

समस्त रजिस्ट्रार / प्रधानाचार्य,
समस्त पैरामेडिकल संस्थान / संबंधित विश्वविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः—राजस्थान राज्य में संचालित डिप्लोमा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की मान्यता राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल से लेने के क्रम में।

संदर्भः—राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल के पत्र दिनांक 06.03.2019 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल एक्ट, 2008, Chapter – I(2)-h "recognized Para-medical qualification" means a degree, diploma or a certificate in any of the Para-medical subjects granted by a recognized institution or a qualification declared to be a recognized qualification under section 32;

Chapter – 4(5) "Notwithstanding anything contained in sub-section (1), all institutions conducting Para-medical courses as on the date of commencement of this Act shall apply for and obtain the recognition within six months from the date of commencement of this Act.

Provided that if the institution applying for recognition under this sub-section does not conform to the standards fixed by the Council in this regard, temporary recognition may be granted to the institution subject to the condition that the facilities in accordance with the standards fixed by the Council shall be provided within a period of one year from the date of grant of temporary recognition.."

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल नियम / विनियम, 2014 एवं 2015 के 52 एवं 53 के तहत पैरामेडिकल संस्थानों को मान्यता दिये जाने हेतु के स्पष्ट प्रावधान हैं तथा यह प्रावधान राजस्थान में पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने वाले समस्त संस्थानों पर समान रूप से लागू है।

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल एक्ट, 2008, Chapter – 3(17), नियम / विनियम, 2014 – 42 के तहत पैरामेडिकल प्रोफेशनल के रजिस्ट्रेशन किये जाने का प्रावधान है।

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल एक्ट, 2008 एवं नियम / विनियम, 2014 एवं 2015 के 52 एवं 53 के तहत पैरामेडिकल संस्थानों को राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल से पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनुमति लेना आवश्यक है।

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल एक्ट, 2008, Chapter – 3(17), नियम / विनियम, 2014 – 42 के तहत केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त संस्थान से पैरामेडिकल पाठ्यक्रम डिप्लोमा / डिग्री में प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी का पंजीयन किये जाने का प्रावधान है।

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से बिना अनुमति के प्राप्त किसी भी संस्थान द्वारा पैरामेडिकल पाठ्यक्रम डिप्लोमा / डिग्री में अभ्यर्थी को प्रशिक्षण दिया जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा नहीं किया जायेगा।

वर्तमान में राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा नवीन निजी पैरामेडिकल संस्थानों को पैरामेडिकल डिप्लोमा एवं डिग्री पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति नहीं दी जा रही है। भविष्य में नवीन पैरामेडिकल संस्थानों को डिप्लोमा एवं डिग्री पाठ्यक्रम संचालित किये जाने की अनुमति दिये जाने की सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित की जायेगी तथा यह सूचना राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल की वैबसाइट पर भी प्रकाशित की जायेगी।

कृपया तत्समय तदनुसार अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करावें, ताकि प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।

<u>सूचनार्थ।</u>

14/5/19
रजिस्ट्रार

क्रमांक:पैरामेडि.कौं / मान्यता / 2019 / 893 दिनांकः 14-05-19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर ।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर ।
4. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
7. अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
8. निजी सहायक, रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

14/5/19

रजिस्ट्रार